अपील सूचना अधिकार संख्या 28/2018 (RCMS 2018/00080) अरविन्द जोशी पुत्र रामरखा जोशी निवीस 568 पटेलनगर, वार्ड नं 11, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर बनाम जिला रसद विभाग, श्रीगंगानगर

18.06.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अरविन्द जोशी एवं अप्रार्थी स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं। अप्रार्थी जिला रसद अधिकारी का जवाब दिनांक 13.06.2018 पत्रावली में पहले से शामिल है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, तो पाया अपीलार्थी ने जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.03.2018 पेश कर प्रार्थना पत्र में अंकित 4 बिन्दुओं पर सूचना चाही थी। जो निश्चित समय में अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाने पर यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के तहत प्रस्तुत कर प्रार्थना की गई है उसकी अपील स्वीकार कर, वांछित सूचना शीघ्र उपलब्ध करवाई जावे और अप्रार्थी लोक सूचना अधिकारी को 250/– प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माने से आरोपित किया जावे।

मैनें अपील पत्र में अंकित उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी अरविन्द जोशी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 14.03.2018 के द्वारा जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:–

1. दिनांक 01.04.2017 से 15.03.2018 तक का गेहूँ व केरोसीन रोस्टर माहवार तहसील केसरीसिंहपुर व सूरतगढ की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।
2. दिनांक 01.04.2017 से 15.03.2018 तक केरोसीन वितरण रजिस्टर तहसील केसरीसिंहपुर व सूरतगढ की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।
3. उक्त दोनों तहसील में कुल राशन कार्ड की संख्या की जानकारी उपलब्ध करवावें।
4. दिनांक 01.04.2016 से आज दिनांक तक निलम्बित (सस्पैंड) डिपूओं की जानकारी तथा पुनः शुरू किये गये संख्या की जानकारी, कारण एवं आदेशों की प्रमाणि प्रतिलिपि देवें।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त सूचनाओं के सम्बन्ध में जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 7043 दिनांक 13.06.2018 से अवगत करवाया है कि प्रार्थी को दिनांक 08.06.2018 को निम्न प्रकार से उत्तर दिया गया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा आरटीआई की धारा 6(1) तहत जिला रसद कार्यालय में प्रार्थना पत्र भेजा गया था, जिसमें निम्नलिखित सूचना चाही गई है :

1. दिनांक 01.04.2017 से 15.03.2018 तक का गेहूँ व केरोसीन रोस्टर माहवार तहसील केसरीसिंहपुर व सूरतगढ की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।
2. दिनांक 01.04.2017 से 15.03.2018 तक केरोसीन वितरण रजिस्टर तहसील केसरीसिंहपुर व सूरतगढ की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।
3. उक्त दोनों तहसील में कुल राशन कार्ड की संख्या की जानकारी उपलब्ध करवावें।
4. दिनांक 01.04.2016 से आज दिनांक तक निलम्बित (सस्पैंड) डिपूओं की जानकारी तथा पुनः शुरू किये गये संख्या की जानकारी, कारण एवं आदेशों की प्रमाणि प्रतिलिपि देवें।

इस सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि तहसील केसरीसिंहपुर के नाम से कोई तहसील नहीं है। यह तहसील श्रीकरणपुर की उपतहसील है। आवंटन व वितरण तहसीलवार होता है। अतः बिन्दु 1 से 3 की तहसील सूरतगढ व करनपुर की सूचना संलग्न है।

बिन्दु संख्या 4 में वर्णित दिनांक 01.04.2016 से आदिनांक तक 77 डिपू निलम्बित है। इसमें से 43 डिपू बहाल हो चुके है तथा 34 अभी तक निलम्बित हैं अगर आप इनके निलम्बन आदेशों की सूचना प्राप्त करना चाहते है तो 2रू प्रति पेज की दर से 154/– रूपये जमा करवायें ताकि आपको सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इसके बावजूद भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचनाएं खोजकर, एकत्रित कर दे दी गई है, इसलिए लोक सूचना अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्कता प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी को बिन्दु संख्या 4 की सूचना के सम्बन्ध में वांछित शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर सकता है। अतः अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को हिदायत जाती है कि अपीलार्थी यदि वांछित शुल्क जमा करवा देवें तो बिन्दु संख्या 04 की सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को भिजवाई जावे। अपीलार्थी को भी निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाख़िल दफ़्तर हो यह आदेश आज दिनांक 18.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर